जन जातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएंः

मात्स्यिकी विभाग द्वारा जन जातीय क्षेत्र में एक पक्के ट्राउट युनिट (आकार 15X2X1.5 मी0) के निर्माण हेतु कुल लागत मु01.00 लाख रूपये पर 40% की दर से अधिकतम 40 हजार रूपये की अनुदान सहायता तथा प्रथम वर्षीय आदानों (मछली बीज एवं खुराक)पर होने वाली कुल लागत मु01.50 लाख रूपये पर 40% की दर से अधिकतम 60 हजार रूपये के अनुदान का प्रावधान है। एक वर्ष में एक युनिट में रेनबो ट्राउट फार्मिंग से 1 टन मछली उत्पादन होता है, जिससे मत्स्य पालक को 1.00 लाख रूपये का शुद्ध लाभ मिलता है ।

इस योजना से स्थानीय निवासी लाभ उठा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

पदनाम	ई मेल	फोन
निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हि. प्र.	fisheries-hp@nic.in,	01978-224068
उप निदेशक मत्स्य मात्स्यिकी निदेशालय बिलासपुर	ddfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212
उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल जिला कुल्लू	ddfisheries-kul-hp@nic.in	01902-240163
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, कांगडा	adfisheries-pal-hp@nic.in	01894-231872
सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर	adfisheries-pal-hp@nic.in	01894-231872
सहायक निदेशक मत्स्य, बिलासपुर	adfisheries-bil-hp@nic.in	01978-222568
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, सोलन	adfisheries-sol-hp@nic.in	01792-229454
सहायक निदेशक मत्स्य, चंबा	adfisheries-cha-hp@nic.in	01899-223801
सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला	adfish-sml-hp@nic.in	0177-2830171
सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन	adfisheries-sol-hp@nic.in	01792-229454
सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी	adf-mandi-hp@nic.in	01905-235141
सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	adfisheries-una-hp@nic.in	01975-227792
सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग	adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282
सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर	----------	01702-224985

सम्पर्क सूत्रः मत्स्य भवन, मात्स्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, चंगर सैक्टर- बिलासपुर-174001
फोन/फैक्सः 01978-224068
ई मेल: fisheries-hp@nic.in वैबसाईट : hpfisheries.nic.in

रा0 मु0 हि0 प्र0, शिमला-1832-मत्स्य-2015-23-07-2015--500 प्रतियां।

मात्स्यिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं

मात्स्यिकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।

राज्य सरकार

- **दुर्घटना बीमा योजनाः** प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों/ मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर तथा स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रूपये का निशुल्क बीमा कवच। आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1 लाख रूपये व चिकित्सा उपचार हेतु 10,000 रूपये का प्रावधान।

- **मछुआरा जोखिम निधि योजनाः** जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु उपकरणों की निर्धारित कीमत की 33 प्रतिशत सहायता।

- **बंद सीजन राहत भत्ता योजनाः** जलाशय के मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के दौरान1800 रूपये की सहायता।

- अनुसूचित जनजाति के लिए कबायली क्षेत्र अथवा इससे बाहर के क्षेत्रों में तालाब निर्माण हेतु 5 हजार रूपये तक का अनुदान।

- **अनुसूचित जाति उप योजनाः** इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में 1-0 लाख रूपये की राशी से सामुदायिक तालाब निर्माण का प्रावधान है। सामुदायिक तालाब निर्माण उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा गांव के ही किसी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लाभार्थी को मछली पालन हेतु 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है।

केन्द्र सरकार

प्रदेश में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने व मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

- **मछली तालाब निर्माणः** 4 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के खर्चे पर सामान्य जाति के लोगों को निर्माण राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा 80 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है।

- **पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मतः** सामान्य जाति के लोगों को मु0 15,000 रूपये प्रति है0 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 18,750 रूपये प्रति है0 है।

- **प्रथम वर्षीय आदानः** मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष में मछली बीज, खाद, खुराक इत्यादि पर किये जाने वाले व्यय में सामान्य जाति के लोगों को 20 प्रतिशत या मु0 10,000 रू0 प्रति है0, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 12,500 रूपये प्रति है0 है।

- **मछली आहार संयत्रः** मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.5 लाख रूपये जो कि भवन, मशीनरी व कलपुर्जों का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.5 लाख रूपये दिया जाता है।

- **कार्प हैचरी निर्माणः** ताजे पानी की मछली बीज उत्पादन के लिए 10 मिलियन फ्राई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16 लाख रूपये की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रूपये अनुदान की सुविधा प्राप्त है।

- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।